

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक

मई, 2014

संख्या-1/एल1-10-02/2007 गृ0आ0 / श्रीमती के0एस0 अनुपम, भा0पु0से0 (1998)
पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी)
नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2014 से 29.06.2014 तक
कुल 60 (साठ) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. श्रीमती अनुपम के अवकाश अवधि में श्री जियाउल हसन खान, पुलिस उप-महानिरीक्षक,
तकनीकी सेवाएँ एवं वितन्तु, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उप-महानिरीक्षक,
रेलवे, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल1-10-02/2007 गृ0आ0

/पटना,

दिनांक

मई 2014

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल1-10-02/2007 गृ0आ0

/पटना,

दिनांक

मई 2014

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-1/एल1-10-02/2007 गृ0आ0

3709

/पटना,

दिनांक

2 मई 2014

प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्रीमती के0एस0 अनुपम, भा0पु0से0 (1998) पुलिस
उप-महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना/श्री जियाउल हसन खान, पुलिस उप-महानिरीक्षक,
तकनीकी सेवाएँ एवं वितन्तु, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।